ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत अत्याधुनिक वातानुकूलित बस स्टेशन **कैसरबाग के शॉपिंग ऐरिया में रिक्त/खाली मोबाईल इलेक्ट्रानिक्स स्टाल, जिसका आरक्षित मूल्य रू0 47,375.00** (रू0 **सैतालीस सत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र)** प्रतिमाह है, जिस पर जीएसटी, विद्युत शुल्क अन्य कर इत्यादि अतिरिक्त नियमानुसार देय होगा की ई–नीलामी निगम मुख्यालय द्वारा जारी कैण्टीन स्टाल सम्बन्धी नवीन नियमावली नवम्बर, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ई–नीलामी **02 बिड** प्रणाली तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के माध्यम से सम्पन्न होगी, जिसके लिये आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

मोईबाईल इलेक्ट्रानिक्स स्टाल को ई–टेण्डर के माध्यम से अनुबन्ध अनुसार संचालित कराये जाने हेतु www.e-tender.up.nic.in पर दिनांक 04.05.2026 को समय 15:00 बजे से दिनांक 21.05.26 को समय 18:00 बजे तक निविदायें अपलोड की जायेगी। दिनांक 22.05.2026 दिन शुक्रवार...... को समय 15:00 बजे ई–निविदा खोले जाने की कार्यवाही कर्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ पर की जायेगी। इस हेतु ई–निविदा के साथ निगम मुख्यालय द्वारा संशोधित नियमावली नवम्बर, 2020 के प्राविधान अनुसार अर्नेस्ट मनी उपरोक्त मोबाईल इलेक्ट्रानिक्स स्टाल की पूर्व मासिक लाइसेंन्स शुल्क रू0 **47,375.00 (रू0 सैतालीस सत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र)** के 03 गुना के समतुल्य का बैंक ड्राफ्ट "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बनवाकर मूल रूप में प्रस्तुत (तकनीकी बिड में) किया जायेगा।

मोबाईल इलेक्ट्रानिक्स स्टाल संचालन हेतु इच्छुक आवेदक परिवहन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com से तथा ई–टेण्डर की साइट www.e-tender.up.nic.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र) जी0एस0टी0 रू0 90.00 अतिरिक्त कुल धनराशि रू0 590.00 (रू0 पॉच सौ नब्बे मात्र) का आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बनवाकर निविदा प्रारूप/आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में प्रस्तुत (तकनीकी बिड में) किया जायेगा।

मोबाईल इनेक्ट्रानिक्स स्टाल स्वीकृत/अस्वीकृत का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। स्वीकृत कैण्टीन/स्टाल पर जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर इत्यादि नियमानुसार प्रभावी होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

टेण्डर के माध्यम से (वित्तीय बिड में) **"सर्वोच्च लाईसेंस शुल्क की दर"** देने वाले ठेकेदार दिनांक 22.05.2026 ..को समय 14.00 बजे तक टेण्डर प्रस्ताव सीव्ड लिफाफे में, लिफाफे के ऊपर बस स्टेशन का नाम, स्टाल का नाम, आवेदक का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर(व्हाट्स ऐप) व ई–मेल आई डी आदि का अंकन करते हुये, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ को प्राप्त करायेंगे, जिसके लिये आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. स्टाल के संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी तथा स्टाल के अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि संचालक द्वारा स्वयंमेव की जाती रहेगी। स्टॉल का अनुबन्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होगा जिसका सम्पूर्ण व्यय स्टॉल संचालक को ही वहन करना होगा।
2. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी निविदा ऑन लाइन के माध्यम से सम्बन्धित बेवसाइट पर अपलोड करायी जायेंगी, जिसमें केवल तकनीकी बिड का लिफाफा अपने दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय बिड का लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अपलोड करायी गयी निविदा के साथ बी0ओ0क्यू0 में प्रतिमाह की सर्वोच्च दर (मय सभी टैक्सों के) अंकित करते हुये अपलोड करायी जायेगी। तकनीकी बिड के लिफाफे में बस स्टेशन का नाम, स्टाल का नाम, आवेदक का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर(व्हाट्स ऐप) व ई–मेल आई डी आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। अग्रेतर डाउनलोडेड तकनीकी बिडों में से उपयुक्त तकनीकी बिडों की ही वित्तीय बिड खोली जायेंगी।
3. स्टॉल की नीलामी का निस्तारण निविदा की औपचारिकताए पूर्ण करने, उपयुक्त तकनीकी बिडों पर प्राप्त उच्चतम वित्तीय दरों के आधार पर किया जायेगा।
4. ई–टेण्डर में प्राप्त सम्बन्धित बिड खोलने के उपरान्त क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा कैण्टीन/स्टाल से सम्बन्धित सूचना स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् निगम मुख्यालय से तदविषयक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
5. निगम मुख्यालय से प्राप्त स्वीकृति पर सफल निविदादाता को समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण करने एवं अनुबन्ध निष्पादन आदि के उपरान्त कार्यादेश निर्गत कर स्टाल संचालित करने की अनुमति दी जायेगी।

6. प्राप्त निविदाओं में से अस्वीकृत होने वाली निविदा के साथ संलग्न किया गया अर्नेस्ट मनी का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सम्बन्धित निविदादाताओं को नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
7. ई– निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम प्रबन्धन में निहित होगा।
8. स्टाल हेतु अधिकतम मासिक लाइसेंस शुल्क के चयनित निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न कराये जाने की स्थिति में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्ट करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा स्टाल की अर्नेस्ट मनी हेतु आरक्षित मूल्य की तीन गुणा राशि का बैंक ड्राफ्ट "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow" के पक्ष में बनवाकर (तकनीकी बिड में) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी मासिक लाइसेंस शुल्क की 03 गुना धनराशि R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति की देय धनराशि में समायोजित किया जायेगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी का बैंक डफ्ट जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
11. अनुबन्ध समाप्त होने पर प्रतिभूति धनराशि वापसी की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
12. स्टाल संचालक 03 माह का नोटिस/प्रार्थनापत्र देकर अनुबन्ध समाप्ति का अनुरोध कारणों सहित कर सकता है। नोटिस/प्रार्थनापत्र स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित रहेगा।
13. यदि चयनित निविदादाता/स्टाल संचालक द्वारा अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही बीच में ही स्टाल छोड़कर जाता है/बंद कर देता है तो प्रतिभूति नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी परन्तु यदि स्टाल संचालक अनुबन्ध में निर्धारित 03 माह की सूचना के उपरान्त स्टाल खाली/बंद करता है तो उसके अन्य देयकों को प्रतिभूति मे से समायोजित करते हुये शेष धनराशि नियमानुसार वापस की जा सकेगी।
14. चयनित निविदादाता/स्टाल संचालक द्वारा अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 01 तारीख को निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कराया जायेगा, माह की 10 तारीख तक कोई विलम्ब शुल्क देय न होगा परन्तु 10 तारीख के बाद विलम्ब शुल्क का आगणन 11वीं तारीख से होगा। प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु मासिक लाइसेंस शुल्क का 1/20वां हिस्सा आर्थिक दण्ड स्वरूप अतिरिक्त जमा कराना होगा।
15. एक माह से अधिक का विलम्ब अनुमन्य नहीं होगा तथा स्टाल आगामी माह की 01 तारीख को स्वमेव समाप्त हुआ मानते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
16. UP Procurment Manual (Procurment of goods) Ist edition के प्राविधान लागू होगें तथा किसी भी स्तर पर कार्टेलिंग (निकट संबंधी) एक ही बिड के लिए प्रतिभाग नहीं करेंगें।
17. स्टाल में विक्रय की जाने वाली किसी भी वस्तु/सेवा को एम0आर0पी0 से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जायेगा। मूल्य सूची का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से स्टाल में लगाया जायेगा।
18. निगम परिसर में किसी संज्ञेय अपराध करने/लिप्त पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टाल संचालक के विरूद्ध नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुये अनुबन्ध निरस्त किये जाने, प्रतिभूति जब्त किये जाने एवं स्टाल संचालक को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
19. स्टाल संचालक स्टाल को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
20. स्टाल का अनुबन्ध वित्तीय बिड में प्रस्तावित की गयी लाइसेंस शुल्क के चार प्रतिशत मूल्य के आगणित धनराशि के स्टैम्प पेपर पर ही तीन वर्षो के लिये किया जायेगा।
21. पी0पी0पी0 से आच्छादित बस स्टेशन के सम्बन्ध में नियमावली, 2020 के अध्याय 04 में की गयी व्यवस्था पीपीपी योजना के अन्तर्गत स्टाल की नियमित अवधि तीन वर्ष अथवा डेवलेपर को बस स्टेशन हस्तान्तरित करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक स्टाल संचालित किया जा सकेगा।
22. कैण्टीन/स्टाल का संचालन निर्धारित स्थान पर ही कराना होगा, जो जहॉ भी जैसा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर संचालित कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
23. अनुमोदित "मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक्स सामान स्टाल" के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अथवा किसी अन्य आपत्तिजनक पदार्थ/वस्तु की बिक्री के कारण यदि द्वितीय पक्ष पर किसी राजकीय अथवा स्थानीय नियम अथवा कानून के अंतर्गत कोई शास्ति रोपित की जाती है अथवा अन्य प्रकार से दण्डित किया जाता है तो इसके लिए द्वितीय पक्ष ही पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा। दोष सिद्ध होने पर अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने मोबाईल इलेक्ट्रानिक स्टाल पर किसी भी अवैधानिक/प्रतिबन्धित, वस्तु की बिक्री नही की जायेगी। ऐसा किये जाने पर द्वितीय पक्ष को बिना किसी पूर्व सूचना के जमानत की धनराशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
24. उक्त ई–टेण्डर विज्ञप्ति किसी भी समय निरस्त/विस्तारित की जा सकती है।

तकनीकी बिड जमा करने हेतु मुख्य शर्ते निम्नवत् है:–

A. जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची (Black List) में है, वे निविदा डालने के लिये अर्ह नहीं होगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा काली सूची (Black List) में न होने का नोटराइज्ड शपथ पत्र **मूल रूप में** अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

B. टेण्डर फार्म रू0 500.00 तथा रू0 90.00 जी0एस0टी0 के भुगतान की रसीद की स्वयं सत्यापित छायाप्रति अथवा रू0 590.00 का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो कि "R.M. U.P.S.R.T.C., Lucknow" के पक्ष में देय होगा, को मूल रूप में तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा।

C. आधार कार्ड की **स्वप्रमाणित प्रति** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

D. पैन कार्ड की **स्वप्रमाणित प्रति** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

E. आरक्षित दर के तीन गुना का आर्नेस्ट मनी हेतु बैंक ड्राफ्ट **मूल रूप में** तकनीकी बिड के लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है।

F. सफल निविदादाता द्वारा, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 07 दिवसों के अन्दर जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनुबन्ध निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा अथवा **उक्त आशय का लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र तकनीकी बिड के लिफाफे में संलग्न किया जायेगा।** जिन निविदादाता को जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र पूर्व से ही प्राप्त हो तो उसकी स्वयं सत्यापित प्रति अपने तकनीकी बिड के लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है। अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में आर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

G. निविदा प्रपत्र/आवेदन प्रारूप तथा तकनीकी बिड के प्रारूप को विधिवत् भरने वाले निविदादाताओं की ही निविदा स्वीकार की जायेगी, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट भरे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

H. तकनीकी बिड के लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड, बस स्टेशन का नाम, स्टाल का नाम, आवेदक का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर(व्हाट्स ऐप) व ई–मेल आई डी आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

वित्तीय बिड का लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसके लिये टेण्डर की साइट www.e-tender.up.nic.in पर अपलोड बी0ओ0क्यू0 में ही आरक्षित मूल्य से अधिक की दर (मय सभी टैक्सों के) अंकित की जायेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

उ0प्र0 परिवहन निगम

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र

पत्र संख्या: 6557 ल0क्षे0/क्षे0प्र0/नीलामी विज्ञप्ति लखनऊ–5/2026 दिनांक: 30–04–2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नीलामी विज्ञप्ति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें:–

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।(ईमेल द्वारा)
2– मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। (ईमेल द्वारा)
3– प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।(ईमेल द्वारा)
4– नोडल अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।(ईमेल द्वारा)
5– प्रधान प्रबन्धक(एम0आई0एस0), वैब मास्टर, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। (ईमेल द्वारा)
6– जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ। (ईमेल द्वारा)
7– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम। (ईमेल द्वारा)
8– सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र। (ईमेल द्वारा)
9– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस आशय से कि सम्बन्धित निविदा बस स्टेशनों एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये। (ईमेल द्वारा)
10– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ। (ईमेल द्वारा)
11– कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र
12– नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ क्षेत्र।
13– tender@upsrtc.com ; comphq@upsrtc.com (ईमेल द्वारा)

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

MobileElectronics,KSB-6

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र

मूल्य 590.00 रू0 जीएसटी सहित
रसीद संख्या......................................

निविदा प्रपत्र का प्रारूप

निविदा जारी करने की दिनांकः ....

01– निविदा का विवरण

- क्षेत्र का नाम ....
- जिला/शहर का नाम ....
- बस स्टेशन का नाम ....
- स्टॉल का नाम ....

टेण्डरदाता के हस्ताक्षर

नोट– एक निविदाप्रपत्र केवल एक स्टॉल के लिए मान्य होगा। यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा तो जमा अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जाएगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार अपर प्रबन्ध निदेशक को होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

स्व प्रमाणित निविदादाता का पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र

ऑन लाईन इ–टेण्डर
तकनीकि बिड का प्रारूप

क्र0 सं0	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	जिन स्टॉल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है, वे निविदा डालने के लिए अर्ह नहीं होंगे और उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। **निविदादाता को नोटराईज्ड शपथ पत्र द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।**	
02	टेण्डर फार्म रू0 590.00 जीएसटी सहित के भुगतान की रसीद की छायाप्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में। बैंक ड्राफ्ट का विवरण अंकित करें।	
03	आधार कार्ड संख्या(आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)	
04	पैन कार्ड संख्या(पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा)	
05	निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक के नाम देय होगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। निविदा अस्वीकृति की दशा में अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय स्तर से वापस कर दिया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट की संख्या, धनराशि, तिथि तथा बैंक का विवरण भी अंकित किया जाये।	

नाम	
हस्ताक्षर	
पता	
मोबाईल नम्बर	

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.05.06 12:21:21 IST
Location: Uttar Pradesh-UP